अपीलीय अधिकरण, कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 18/2022 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल
2. जगदीश प्रसाद अग्रवाल पुत्र स्व॰ श्री गंगा सहाय अग्रवाल

   पता–प्लाट नम्बर 77, गोयल भवन, रामदास मार्ग, इन्द्रपुरी कालोनी, शिवाजी चौक, ब्रह्मपुरी, जयपुर, पुलिस थाना, नाहरगढ, जयपुर

अपीलार्थीगण

बनाम

1. मुकेश अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल
2. संतोष अग्रवाल पत्नी मुकेश अग्रवाल

   निवासी प्लाट नं॰14, लक्ष्मीनारायण मार्ग, ब्रह्मपुरी–बी योजना, जयपुर, पुलिस थाना नाहरगढ, जयपुर, राजस्थान ।
3. मीना अग्रवाल पत्नी श्री राजेश गुप्ता

   निवासी 24 इन्द्रा कालोनी सुभाष मण्डी, नीम का थाना, जिला सीकर।
4. श्रीमती चद्रकान्ता अग्रवाल पत्नी श्री नरेश कुमार पंसारी

   निवासी शनि मन्दिर के पास, पुराना पैट्रोल पम्प, उदयपुर वाटी रोड, वार्ड नं॰ 12, खण्डेला जिला सीकर ।
5. पिंकी अग्रवाल पत्नी श्री लालचन्द अग्रवाल निवासी 17 ए, मनसा सदन, गोलीमार्ग गार्डन के पास, रामगढ रोड, आमेर रोड, पुलिस थाना ब्राह्मपुरी, जिला जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 18.04.2022 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण संख्या 81/2018 ब उनवानी श्रीमती मीरा देवी बनाम मुकेश अग्रवाल

उपस्थितः–

1. अपीलान्ट्स स्वयं उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1, स्वयं उपस्थित है।

निर्णय **दिनांक 20.10.2022**

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 81/2018 ब उनवानी श्रीमती मीरा देवी बनाम मुकेश अग्रवाल में पारित निर्णय दिनांक 18.04.2022 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

3. बहस उभय पक्ष की सुनी गई।

4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी संख्या 1 अपीलार्थी संख्या 2 की धर्मपत्नी है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 पति–पत्नी है। जो कि अपीलार्थीगण के पुत्र व पुत्रवधु है। अपीलार्थीगण अत्यन्त वृद्ध व बीमार रहते है। उनके बीमार रहने से आय का कोई साधन नहीं होने से अपीलार्थीगण की माली हालत अत्यन्त दयनीय है। उन्हें दूसरों के सहारे जिन्दा रहा पड़ता है। अपीलार्थी संख्या 1 की एक दुकान लक्ष्मीनारायण मार्ग, ब्रह्मपुरी बी योजना जयपुर राजस्थान में स्थित दुकानों में दुकान नं॰ 10 स्थित है। जिस पर अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा स्व अर्जित आय से तामीरात कर दो मंजिला दुकान का निर्माण करा रखा है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी संख्या 1 की एक दुकान लक्ष्मीनारायण मार्ग ब्रह्मपुरी बी योजना जयपुर राजस्थान में स्थित दुकानों में दुकान नं॰ 14 स्थित है। जिस पर अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा तामीरात करा कर प्रथम मंजिल पर दो कमरे, लैट बाथ, चौक व कीचन का निर्माण करा लिया गया । प्रत्यर्थी संख्या 1 अपीलार्थीगण का पुत्र है तथा अपीलार्थी संख्या 1 के स्वामित्व की दुकान नम्बर 10, लक्ष्मीनारायण मार्ग, ब्रह्मपुरी बी योजना, जयपुर का सम्पूर्ण हिस्सा व प्रथम तल पर स्थित दो कमरे लैट बाथ, कीचन, चौक व दुकान नं॰14 लक्ष्मीनारायण मार्ग, ब्रह्मपुरी बी योजना, जयपुर प्रथम तल पर स्थित दो कमरे, लैट बाथ, कीचन व चौक को प्रत्यर्थी संख्या एक अपीलार्थी संख्या 1 की इजाजत से बहैसियत लाईसेन्सी निवास व व्यवसाय कर रहा है। अपीलार्थीगण द्वारा समय समय पर प्रत्यर्थीगण व उसके बच्चों की अपनी हैसियत के अनुसार आर्थिक व सामाजिक मदद की जाती रही है। जिसका कोई भी भुगतान प्रत्यर्थीगण द्वारा आज दिनांक तक नहीं किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के माता पिता होने के कारण अपना हर फर्ज पूरा किया गया है। पिछले दो तीन वर्षो से प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थीगण की किसी भी सामाजिक, आर्थिक अथवा मानसिक रूप से मदद व देखभाल नहीं की जा रही है। प्रत्यर्थीगण का अपीलार्थीगण के प्रति व्यवहार दिन प्रति दिन अमानवीय व निम्नतर होता जा रहा है। जिस कारण अपीलार्थीगण पिछले डेढ दो वर्षो से काफी मानसिक व आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे है। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थीगण पर निरन्तर आर्थिक मदद देने हेतु एवं प्रार्थीगण द्वारा स्व अर्जित सम्पत्ति से जबरन हिस्सा देने की मांग की जाकर उन्हें निरन्तर मानसिक रूप से हैरान, परेशान व प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपीलार्थीगण को मारने पीटने, झूंठे मुकदमें में फंसाने व स्व अर्जित सम्पति मे से हिस्सा न देने के सन्दर्भ में इज्जत नीलाम करने की धमकी दी जा रही है और हिस्सा न दिये जाने की सूरत में अपीलार्थीगण का अहित किये जाने की भी धमकी दी जाती है और अपीलार्थीगण की उक्त सम्पत्ति को प्रत्यर्थीगण द्वारा किसी को भी ओने पोने दामों में देकर खुर्द बुर्द किया जा सकता है। इस कारण अपीलार्थी संख्या एक द्वारा अपने अधिवक्ता श्री हरिश कुमार शर्मा के माध्यम से प्रत्यर्थीगण को विधिक नोटिस भिजवाया गया। नोटिस मिलने के बावजूद भी प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 की मिल्कियत की उक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा अपीलार्थीगण को नहीं सम्भलाया जा रहा है। इसलिए अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न अनुतोष चाहे गये थे। (ए) प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बहक विरूद्व अप्रार्थीगण मन्जूर फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

लक्ष्मीनारायण मार्ग, ब्रह्मपुरी बी योजना, जयपुर दुकान नम्बर 10 व उसकी प्रथम मंजिल पर निर्मित तामीरात व दुकान नम्बर 14 लक्ष्मीनारायण मार्ग, ब्रह्मपुरी बी योजना, जयपुर के प्रथम तल पर निर्मित तामीरात से जरिये पुलिस इमदाद हटाया जाकर उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थीगण को दिलवाया जाकर कब्जा करवाया जावें। (बी) प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से भरण पोषण राशि रूपये 10,000/–रूपये प्रति माह अलावा अन्य खर्चे दिलवाय जावे। (सी) अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण की जान माल की भी सुरक्षा करवाई जावे व प्रार्थीगण के जीवन व सम्पत्ति सुरक्षा के आवश्यक इन्तजाम करवाये जावे एवं अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे। (डी) अन्य अनुतोष जो हित कर प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण दिलवाये जाने का निवेदन किया गया है। जिस पर अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष लम्बित पत्रावली पर यह मत व्यक्त करते हुये निर्णय पारित किया कि " प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को लक्ष्मीनारायण मार्ग, ब्रह्मपुरी बी योजना, जयपुर में स्थित दुकान नम्बर 10 जिसका क्षेत्रफल 35.13 वर्गगज है व उसकी प्रथम मंजिल पर निर्मित तामीरात व दुकान नम्बर 14 स्थित लक्ष्मीनारायण मार्ग, ब्रह्मपुरी बी योजना, जयपुर के प्रथम तल पर निर्मित तामीरात को हटाये जाने का भी अनुतोष चाहा गया है, इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा व्यवसायिक कार्य किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थीगण, प्रार्थी को प्रति माह 10,000/–रूपये प्रतिमाह बतौर भरण पोषण की राशि अदा करे, अन्यथा अप्रार्थीगण से उक्त दुकान खाली करवाली जायेगी। उक्त राशि अप्रार्थी नियमित रूप से प्रार्थी को प्रतिमाह अदा करें ताकि प्रार्थी अपना भरण पोषण आसानी से कर सकें। अप्रार्थी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थी के साथ सद्व्यवहार करे व लडाई झगडा नहीं करे । पत्रावली फैसल शुमार से कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया । " अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा उनके समक्ष लम्बित आवेदन का ध्यानपूर्वक अवलोकन नहीं किया गया क्योंकि अपीलार्थीगण ने उक्त आवेदन में स्पष्ट तौर पर 4 अनुतोष चाहे गये थे जिसमें प्रथम अनुतोष यह था कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण के विरूद्व अप्रार्थीगण मन्जूर फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को लक्ष्मीनारायण मार्ग, ब्रह्मपुरी बी योजना, जयपुर दुकान नम्बर 10 व उसकी प्रथम मंजिल पर निर्मित तामीरात व दुकान नम्बर 14 लक्ष्मीनारायण मार्ग, ब्रह्मपुरी बी योजना, जयपुर के प्रथमत तल पर निर्मित तामीरात से जरिये पुलिस इमदाद हटाया जाकर उक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थीगण को दिलवाया जाकर कब्जा करवाया जाये। प्रार्थीगण के उक्त अनुतोष पर अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा गौर नहीं किया गया जो कि प्रार्थीगण का मुख्य अनुतोष था जबकि प्रार्थीगण के द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4 व 22 (2) सपठित धारा 23 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया था उक्त उपबंधो के अन्तर्गत अधिकरण को कब्जा खाली करवाये जाने की भी अधिकारिता प्राप्त है, परन्तु अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया गया और उपरोक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थीगण को नही दिलवाया गया । अधीनस्थ अधिकरण ने दिनांक 18.4.2022 के निर्णय इस आधार पर भी आक्षेपित किया जाता है कि पूर्व मे प्रार्थीगण के द्वारा उक्त आवेदन उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसमें पारित निर्णय के विरूद्व भी प्रार्थीगण द्वारा अपील श्रीमान के समक्ष पस्तुत की गई थी और अपीलीय अधिकरण के द्वारा अपील को निस्तारित करते हुये दिनांक 25.06.2018 को निर्णय पारित किया गया था और उक्त निर्णय मे यह भी मत व्यक्त किया गया था कि माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण नियम 2010 नियम 20 के उप नियम 5 ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

और सम्पत्ति की रक्षा करने का प्रावधान है, परन्तु अधीनस्थ अधिकरण द्वारा मकान खाली कराने के अनुतोष पर माता– पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण नियम 2010 के तहत बिना कोई विवेचना किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जिसमें हम हस्तक्षेप किया जाना वाजिब समझते है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है। अपीलीय अधिकरण से उक्त निर्णय पारित होने के पश्चात भी अधीनस्थ अधिकरण ने उक्त निर्णय का न तो अवलोकन किया और न ही मार्गदर्शन किया प्राप्त किया । जबकि अधीनस्थ अधिकरण को अपीलीय अधिकरण के आदेश से मार्गदर्शन प्राप्त कर प्रार्थीगण की उक्त सम्पत्तियां खाली करवाये जाने के आदेश पारित करने चाहिये थे। जबकि अधीनस्थ अधिकरण ने फौरी तौर पर आक्षेपित आदेश पारित कर दिया । इस कारण भी अधीनस्थ अधिकरण का आक्षेपित आदेश अपास्त कर प्रार्थीगण की सम्पत्ति अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से खाली कराये जाने का आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ अधिकरण ने अपने निर्णय मे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के प्रार्थना पत्र जिसमें प्रार्थी संख्या 1 व 2 की पुत्रियों को भी पक्षकार बनाये जाने हेतु निवेदन किया गया था और अधीनस्थ अधिकरण ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थीगण की पुत्रियों को अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 के रूप में समायोजित किया था । अधीनस्थ अधिकरण ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्व अनुतोष चाहा गया था अन्य अप्रार्थीगण के विरूद्व नहीं। प्रार्थीगण की पुत्रियां 3 लगायत 5 अपने अपने सुसराल में निवास करती है। उनका उक्त सम्पत्तियों से कोई लेना देना नही है और न हीं प्रार्थीगण अपनी पुत्रियों से किसी प्रकार का भरण पोषण प्राप्त करना चाहते है। जबकि अधीनस्थ अधिकरण ने अपना निर्णय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना पारित किया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी से केवल कट, कॉफी, पेस्ट कर निर्णय पारित किया गया है। जबकि अधीनस्थ अधिकरण को प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर निर्णय पारित करना चाहिये था ओर अप्रार्थीगण के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अंकन करना चाहिये था। इस कारण अधीनस्थ अधिकरण का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ अधिकरण ने विधिक उपबन्धों के परे जाकर अपने स्व विवेक के आधार पर यह मत व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी को प्रति माह दस हजार रूपया बतौर भरण पोषण की राशि अदा करे, अन्यथा अप्रार्थीगण से उक्त दुकान खाली करवा ली जायेगी। उपरोक्त तक को इस आधार पर आक्षेपित किया जाता है कि अपीलार्थीगण मूल प्रार्थीगण ने अपने मूल प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ अधिकरण के उपर उल्लेखित मत के अनुसार वैकल्पिक रूप से अनुतोष नहीं चाहा था। न चाहे गये अनुतोष से परे जाकर अधीनस्थ अधिकरण ने आक्षेपित निर्णय पारित किया है इस कारण भी उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ अधिकरण के निर्णय को इस आधार पर आक्षेपित किया जाता है कि अधीनस्थ अधिकरण के आक्षेपित निर्णय द्वारा स्पष्ट यह मत व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को प्रति माह 10,000/–रूपये बतौर भरण पोषण अदा करे, जबकि मूल प्रकरण मे 2 प्रार्थीगण व 5 अप्रार्थीगण थे और निर्णय के उनवान मे 2 ही अप्रार्थीगण का और अनुतोष केवल प्रार्थीगण शब्द का उल्लेख किया गय है। इस कारण भी उक्त अस्पष्ट अनुतोष की सीमा तक अधीनस्थ अधिकरण का निर्णय इस आधार पर मोडिफाई किये जाने योग्य है की अपीलार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से 10,000/–रूपये बतौर भरण पोषण की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्व इस अपील द्वारा यह भी आदेश पारित किया जावे कि प्रत्यर्थी

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

संख्या 1 व 2 से लक्ष्मीनाराण मार्ग, ब्रह्मपुरी बी योजना जयपुर में स्थित दुकान नं. 10 व उसकी प्रथम मंजिल पर निर्मित तामीरात व दुकान नं 14 लक्ष्मीनाराण मार्ग ब्रह्मपुरी बी योजना जयपुर पर निर्मित तामीरात से जरिये पुलिस इमदाद हटाया जाकर उक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा अपीलार्थीगण को दिलवाया जाकर कब्जा करवाया जावें तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 अपीलार्थीगण को 10,000/–रूपया प्रति माह भरण पोषण की राशि अदा करे।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर उक्त्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम 2010 के तहत उप खण्ड मजिस्ट्रेट उत्तर के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसका निर्णय दिनांक 21.10.2016 को किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 मुकेश अग्रवाल को आदेश दिया कि 3,000/–रूपये प्रति माह 15 तारीख को नियमित रूप से प्रार्थी दम्पत्ति के बैंक खाते में अदा करेगा व 1500/–रूपये अतिरिक्त प्रार्थी की दुकान के उपयोग उपभोग की एवज मे किराये पेटे अतिरिक्त अदा करें । पवन अग्रवाल व खेमचन्द अग्रवाल प्रार्थी के अन्य दो पुत्र को भी आदेश देता है कि 1500–1500 रूपये प्रत्येक माह की 15 तारीख को नियमित रूप से प्रत्येक प्रार्थी दम्पत्ति के बैक अकाउन्ट में अदा करेगा। भरण पोषण की राशि आदेश होने की दिनांक से लागू होगी जहां तक प्रार्थीगण की विवादित सम्पत्ति से निष्कासित करने की प्रार्थना है, अधिकरण पूर्णत अस्वीकार कर खारिज करता है । क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा उक्त सम्पत्ति को बतौर लाईसेन्सी की हैसियत से देना बताया है जो कि समस्त T P Act.1982 के तहत सुनिश्चित की जाती है। उक्त सम्बन्धी किसी भी प्रकार का अनुताप केवल मात्र सिविल न्यायालय से ही प्राप्त किया जा सकता है। अप्रार्थीगण को प्रार्थी दम्पत्ति से सद्व्यवहार हेतु पाबन्द किया जाता है। उक्त आदेश से अपीलार्थीगण व्यथित होकर आदेश दिनांक 21.10.2016 के विरूद्व अपील कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर अपीलीय अधिकरण द्वारा 25.06.2018 को निर्णय पारित कर प्रत्यर्थी संख्या 1 मुकेश अग्रवाल द्वारा अदा की जाने वाली भरण पोषण की राशि व दुकान के उपयोग उपभोग की राशि यथावत रखते हुए प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.11.2015 मे अन्य उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तथा राजस्थान माता–पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2007 के उप नियम 5 के तहत अधीनस्थ अधिकरण द्वारा मकान खाली करने के दोषारोप पर विवेचना किये जाने हेतु निर्णय दिनांक 21.10.2016 में हस्तक्षेप किया जाना वाजिब पाते हुए पत्रावली को उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि पत्रावली में लम्बित आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की सुनवाई की जाकर प्रार्थना पत्र को निस्तारित करे। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा प्रार्थना पत्र की पुनः सुनवाई कर दिनक 18.04.2022 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को 10,000/–रूपये प्रति माह बतौर भरण पोषण राशि अदा करें अथवा अप्रार्थीगण से उक्त दुकान खाली करा ली जायेगी, के आदेश के साथ प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रतिप्रेषण होकर प्राप्त होने के उपरान्त प्रत्यर्थी संख्या एक के अतिरिक्त अपीलार्थी के अन्य किसी वारीसान के विरूद्व किसी प्रकार का कोई भरण पोषण आदेश पारित नही किया गया है। ना ही अन्य किसी प्रत्यर्थी के विरूद्व भरण पोषण नहीं दिलाये जाने हेतु आदेश में किसी प्रकार की विवेचना अथवा भरण पोषण नहीं दिलाये जाने की किसी कारण का उल्लेख किया है। फिर भी प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के आदेश की नियमित रूप से पालना

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

करते हुये भरण पोषण की राशि एवं किराये की राशि अदा की जा रही है। जबकि विधि अनुसार अपीलार्थी के समस्त वारिसो को अपने माता–पिता के भरण पोषण करने का विधिक दायित्व है। प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा अपने विधिक एवं सामाजिक दायित्वों के अधीन ना तो कोई अधीनस्थ अधिकरण के आदेश की भरण पोषण की राशि में कमी कराने हेतु अपील की गई है और ना ही अपनी हैसियत नहीं होने के उपरान्त भी अपने द्वारा भरण पोषण एवं किराये की राशि अदा करने मे कोई चूक की गई है। प्रत्यर्थी सख्या एक अपीलार्थी का बडा पुत्र होने के आधार पर 17 वर्ष की उम्र से ही अपने पिता के व्यवसाय में सहयोग कर परिवार के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता रहा है। अपीलार्थी का पिता जयपुर के फुटपाथ पर कार्य कर आय अर्जिक करता रहा है जिससे प्रत्यर्थी संख्या 1 के कभी कोई शर्म महसूस ना कर उनको अपनी पढाई छोड कर सहयोग किया है। जिससे की परिवार का सही ढंग से आर्थिक व सामाजिक विकास हो सके। प्रत्यर्थी संख्या 1 के लगातार सहयोग से परिवार का आर्थिक विकास हुआ है और सभी भाई बहिनों को पढाई व शादी सम्पन्न हुई है। अपीलार्थी द्वारा अपने नाम से रिहायशी व व व्यवसायिक सम्पत्तियों का निर्माण भी कराया गया है जिसमे प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पूर्ण रूप से आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया गया है। वर्तमान मे प्रत्यर्थी की आर्थिक स्थति अन्य भाईयों व बहिनो से कमजोर है फिर भी प्रत्यर्थी संख्या 1 पूर्ण सहयोग हेतु तत्पर है। इसी भावनाओं के मध्य नजर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत नहीं की है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के अतिरिक्त अपीलार्थी के किसी अन्य वारिसानों को कोई भरण पोषण की राशि अदा करने के लिए आदेशित नही किया गया है। जबकि अपीलार्थी के दो अन्य पुत्र पवन व खेमचन्द भी अपीलार्थी के नाम की सम्पत्तियों मे निवास एवं व्यवसाय करते आ रहे जिनका भी अपने माता–पिता का भरण पोषण करने का पूर्ण दयित्व है फिर भी मात्र प्रत्यर्थी संख्या 1 से ही 10000/–रूपये प्रति माह भरण पोषण हेतु आदेशित किया गया है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपने निर्णय में अपीलार्थी के अन्य वारिसों को पक्षकार के रूप में भी नहीं दर्शाया गया है। इसलिए अधीनस्थ अधिकरण का निर्णय पुन विचार किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है। अतः अपीलार्थी के अन्य वारिसान के सन्दर्भ मे भरण पोषण सम्बन्धी कोई विवेचना नहीं होने से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र पुन विचारण हेतु अधीनस्थ अधिकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश प्रदान करें ।

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर दो अनुतोष चाहे है। प्रथम अपीलार्थी ने दुकान नम्बर 10 व 14 लक्ष्मीनारायण मार्ग ब्रहमपुरी–बी योजना जयपुर से प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को बेदखल किया जाकर उक्त सम्पत्ति का कब्जा चाहा है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 की धारा 23 (1) इस प्रकार है– Section 23. Transfer of property to be void in certain circumstances– (1) Where any senior citizen who, after the commencement of this Act, has transferred by way of gift or otherwise, his property. Subject to the condition that the transferee shall provide the basic amenities and basic physical needs to the transfer and such transferee refuses or fails to provide such amenities and physical needs, the said transfer of property shall be deemed to have been made by fraud or coercion or under

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

undue influence and shall at the option of the transfer or be declared void by the Tribunal.

इस प्रकार अधिनियम की धारा 23 यह उपबन्ध करती है कि जहां किसी वरिष्ठ नागरिक ने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती, अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, वहां सम्पत्ति का अन्तरण कपट या प्रपीडन द्वारा या असम्यक् असर के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा अन्तरण शून्य घोषित किया जावेगा। इस प्रकार धारा 23 में दान द्वारा या अन्यथा (Otherwise) सम्पत्ति का अन्तरण किया जाना शामिल है। अन्यथा में लिखित व मौखिक अन्तरण हो सकता है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 23 के तहत बेदखली का आदेश दिया जा सकता है । इस सम्बन्ध में समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिकों के पक्ष में पारित किये गये है । इस मामले में अपीलार्थीगण के जीवन व उसकी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए अपीलार्थी की सम्पत्ति से प्रत्यर्थीगण की बेदखली के बिन्दु पर उभय पक्ष सुन कर मामले का निस्तारण करने के लिए प्रकरण अधीनस्थ अधिकरण को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है। फलस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाती है ।

8 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के आदेश दिनांक 18.04.2022 को भरण पोषण राशि की हद तक यथावत रखते हुये शेष आदेश अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ अधिकरण को प्रकरण प्रतिप्रेषत कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के जीवन व स्व अर्जित सम्पत्ति की सुरक्षार्थ प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थीगण की सम्पत्ति से बेदखली के बिन्दु पर उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर तदनुसार नये सिरे से निर्णत पारित करें।

9 आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16 (7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर फैसल शुमार हो।

10 निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर